

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 149]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 अप्रैल 2015—चैत्र 20, शक 1937

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2015

अधि. क्र. 130-एफ-4-129-2014-अठारह-1.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 86 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में,—

(एक) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ख) “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, अपर संचालक, संयुक्त संचालक, मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग-क, मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग-ख तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग-ग के संबंध में राज्य सरकार;”.

(दो) खण्ड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(च) “सेवा का सदस्य” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य.”.

2. विद्यमान नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“3. (1) राज्य के लिये मध्यप्रदेश राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा गठित की जाएगी.

(2) मध्यप्रदेश राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा में पांच श्रेणियां होंगी, अर्थात् अपर संचालक, संयुक्त संचालक, मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग-क, मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग-ख तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग-ग.”.

3. नियम 4 में, उप-नियम (1) का लोप किया जाए.

4. विद्यमान नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“6. आयु—सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु सीमा वह होगी, जो द्वितीय अनुसूची के कॉलम (8) तथा (9) में विहित है.”.

5. नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“7 शैक्षणिक अर्हता.—सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता द्वितीय अनुसूची के कॉलम (11) में दर्शाए अनुसार होगी.”.

6. नियम 13 में, उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(2) अपर संचालक, संयुक्त संचालक, मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग-क, मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग-ख तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग-ग के चयन के लिए विभागीय पदोन्नति के लिये अभ्यर्थियों का चयन एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित समिलित होंगे :—

(एक) अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग या उसका नामनिर्देशित — अध्यक्ष

(दो) प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास — सदस्य
एवं पर्यावरण विभाग.

(तीन) आयुक्त/संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय— सदस्य-सचिव

समिति की बैठक, पदोन्नति के लिये समस्त प्रकरणों पर विचार करने तथा राज्य सरकार को अपनी सिफारिशों प्रस्तुत करने के लिये कम से कम वर्ष में एक बार होगी। समिति, विचारण के पश्चात् पदोन्नति के लिये अनुशंसित व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी तथा अपनी बैठक की तारीख से एक मास के भीतर राज्य सरकार को प्रेषित करेगी। पदोन्नति के लिये अभ्यर्थियों का चयन करने में, नियमों में विहित न्यूनतम अर्हताओं के अतिरिक्त निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाएगा—

1. सन्निष्ठा;

2. निपुणता तथा कर्मठता;

3. मानसिक चातुर्य एवं अभिरुचि; और

4. अनुभव व सेवा अभिलेख.”.

7. नियम 45 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(1) सेवा के प्रत्येक सदस्य के लिये प्ररूप चार में सेवा पुस्तक रखी जाएगी। इस पुस्तक में, सेवा के सदस्य का सेवावृत्त अन्तर्विष्ट होगा और प्रत्येक प्रविष्टि, नगर पालिका/परिषद् में सेवारत होने की दशा में अध्यक्ष द्वारा, नगरपालिक निगमों में सेवारत होने की दशा में आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, जिला शहरी विकास अभिकरण में सेवारत होने की दशा में जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास में सेवारत होने की दशा में आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तथा प्रतिनियुक्ति पर अन्य शासकीय कार्यालयों में सेवारत होने की दशा में कार्यालय प्रमुख अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिप्राणित की जाएगी।

8. नियम 46 में,—

(एक) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(1) सेवा के सदस्यों की गोपनीय रिपोर्ट प्रथम श्रेणी, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालक अधिकारियों के लिये सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा विहित प्रपत्र में रखी तथा तैयार की जाएगी.”.

(दो) उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

- (3) (एक) गोपनीय प्रतिवेदन.—(1) नगर परिषद् में सेवारत होने की दशा में नगर परिषद् के अध्यक्ष द्वारा आद्याक्षरित की जाएगी और उसकी संवीक्षा संबंधित नगर परिषद् पर अधिकारिता रखने वाले संभागीय उप संचालक/संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा, संबंधित जिले के कलक्टर द्वारा और तत्पश्चात् संचालक/आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा की जाएगी, जो अपनी राय अभिलिखित करने के पश्चात् उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा।
- (दो) नगरपालिक निगमों में सेवारत होने की दशा में, आयुक्त द्वारा आद्याक्षरित की जाएगी और उसकी संवीक्षा संचालक/आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा की जाएगी, जो अपनी राय अभिलिखित करने के पश्चात् उसे राज्य सरकार को भेजेगा।
- (तीन) नगरपालिक निगमों में सेवारत होने की दशा में, आयुक्त के मामले में, संभागीय आयुक्त (राजस्व) द्वारा आद्याक्षरित की जाएगी और उसकी संवीक्षा संचालक/आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा की जाएगी, जो अपनी राय अभिलिखित करने के पश्चात् उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा।
- (चार) जिला शहरी विकास अभिकरणों में सेवारत होने की दशा में, जिला कलक्टर द्वारा आद्याक्षरित की जाएगी और उसकी संवीक्षा संचालक/आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा की जाएगी, जो अपनी राय अभिलिखित करने के पश्चात् रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा।
- (पांच) संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में सेवारत होने की दशा में, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा आद्याक्षरित की जाएगी और उसकी संवीक्षा सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा की जाएगी, जो अपनी राय अभिलिखित करने के पश्चात् उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा।
- (छह) अन्य शासकीय कार्यालयों में सेवारत होने की दशा में, कार्यालय प्रमुख द्वारा आद्याक्षरित की जाएगी और उसकी संवीक्षा संचालक/आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा की जाएगी, जो अपनी राय अभिलिखित करने के पश्चात् उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा।

9. विद्यमान अनुसूची प्रथम तथा द्वितीय के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

प्रथम अनुसूची

[नियम 4 का उप नियम (1) देखिए]

सेवा का अस्थायी बल निम्नानुसार है :—

अपर संचालक	—	1
संयुक्त संचालक	—	14
मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग-क	—	84
मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग-ख	—	107
मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग-ग	—	267

द्वितीय अनुसूची

[नियम 5 के उप-नियम (1) का खण्ड (ग) देखिए]

अनुक्रमांक	पदों के नाम	पदों की संख्या	ग्रेड का कार्यकरण	वेतनमान	भर्ती का तरीका		न्यूनतम आधिकरण	पदस्थाना	शैक्षणिक अहंताएँ	
					सीधी	पदोन्नति			सीधी	पदोन्नति के लिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	अपर संचालक (नारीय प्रशासन)	01	वरिष्ठ प्रथम श्रेणी	37400 से 67000 ग्रेड वेतन 8700	-	100 प्रतिशत	-	-	1. संचालनालय में अपर संचालक-01 (प्रतिनियुक्ति पर)	- संबंधित पद का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा.
2	संयुक्त संचालक (नारीय प्रशासन)	14	वरिष्ठ प्रथम श्रेणी	15600 से 39100 ग्रेड वेतन 7600	-	100 प्रतिशत	-	-	1. संचालनालय में संयुक्त संचालक-2 2. संभागीय कार्यालय में-7 3. अपर आयुक्त तथा नगर निगम में आरक्षित-5	- संबंधित पद का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग-क के अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा.
3	मुख्य नगरपालिका अधिकारी (वर्ग-क)	84	प्रथम श्रेणी	15600 से 39100 ग्रेड वेतन 6600	-	100 प्रतिशत	-	-	1. संचालनालय में उप संचालक-2 (प्रतिनियुक्ति पर) 2. संभागीय कार्यालय में-01 3. जिला श. चि. अधि. -50 4. नगर पालिका परिषद् में (1 लाख से अधिक जनसंख्या)-19 5. उपयुक्त तथा नगर निगम में आरक्षित-12	- संबंधित पद का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग-ख के अधिकारियों तथा कक्ष अधिकारी की नगर पालिका परिषद् के अधिकारियों की नगर पालिका आरक्षित द्वारा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	मुख्य नगरपालिका आधिकारी (वर्ग-ख)	107	द्वितीय श्रेणी	15600 से बेतन 5400	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	21 वर्ष	40 वर्ष	1. संचालनालय में सहायक संचालक-8 में-5	मान्यता प्राप्त विश्व- विद्यालय कार्ग-ग	संबंधित पद का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग-ग के अधिकारियों तथा कर्क, क तथा ख श्रेणी की नगर पालिका परिषद् के राजस्व निरीक्षक की पदोन्नति द्वारा.
5	मुख्य नगरपालिका आधिकारी (वर्ग-ग)	267	तृतीय श्रेणी	9300 से ग्रेड बेतन 3600	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	21 वर्ष	40 वर्ष	1. नगर पालिका परिषद्-257 2. आरक्षित-10	मान्यता प्राप्त विश्व- विद्यालय कार्ग-ग स्नातक राजस्व निरीक्षकों तथा राजस्व उप निरीक्षकों तथा संबंधित पद का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले नगर पालिका परिषद् के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा.	संबंधित पद का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग-ग के अधिकारियों तथा कर्क, क तथा ख श्रेणी की नगर पालिका परिषद् के राजस्व निरीक्षक की पदोन्नति द्वारा.

टीप.—सीधी भरती के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजनों/महिलाओं के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किए गए प्रावधान अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2015

अधि. क्र. 130 एफ-4-129-2014-अठारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 130 एफ-4-129-2014-अठारह-1, दिनांक 10 अप्रैल 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 10th April 2015

Not. No. 130-F-4-129-2014-XVIII-1.—In exercise of the powers conferred by Section 355 read with sub-section (2) of Section 86 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the Government, hereby makes the following amendments in the "The Madhya Pradesh Municipal Service (Executive) Rules, 1973, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule, 2,—

(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

"(b) 'Appointing Authority' means the State Government in respect to Additional Director, Joint Director, Chief Municipal Officer class-A, Chief Municipal Officer class-B, and Chief Municipal Officer Class-C;".

(ii) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely :—

"(f) 'Member of the service' means a member of the Madhya Pradesh State Urban Administrative Service.".

2. For the existing rule 3, the following rule shall be substituted, namely :—

"3. (1) There shall be constituted the Madhya Pradesh State Urban Administrative Service for the state.

(2) Madhya Pradesh State Urban Administrative Service shall consist of five classes, namely, Additional Director, Joint Director, Chief Municipal Officer class-A, Chief Municipal Officer class-B, and Chief Municipal Officer class-C.".

3. In rule 4, in sub-rule (1), the shall be omitted.

4. For the existing rule 6, the following rule shall be substituted, namely :—

"6. Age.—The age limit of a candidate for direct recruitment shall be, as prescribed in column (8) and (9) of second schedule.".

5. For rule 7, the following rule shall be substituted, namely :—

"7 Academic Qualification.—The minimum academic qualification required for candidates for direct recruitment shall be as shown in column 11 of the Second Schedule.".

6. In rule 13, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) The selection of candidate for departmental promotion to select Additional Director, Joint Director, Chief Municipal Officer class-A, Chief Municipal Officer class-B, and Chief Municipal Officer class-C shall be made by a Committee consisting of the following :—

- (i) Chairman, State Public Service Commission or his nominee — Chairman.
- (ii) Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh Urban Development and Environment Department. — Member
- (iii) Commissioner/Director, Directorate of Urban Administration and Development. — Member Secretary

The Committee shall meet atleast once in every year to consider all case for promotion and submit its recommendation of the State Government. After the consideration, the Committee shall draw up a list of persons recommended for promotion and send the same to the State Government within a month from the date of meeting. In selecting the candidates for promotion, in addition to the minimum qualification prescribed in the rule, regard shall be had to—

- (i) integrity;
- (ii) tact and energy;
- (iii) intelligence and aptitude; and
- (iv) experience and record of service.".

7. In rule 45, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) A service book in the Form IV shall be maintained for every member of the service. This book shall contain the history of the service of the member and each entry shall be attested by, the President in case of serving in Municipal Council/Parishad, Commissioner or Officer authorized by him, in case of serving in Municipal Corporation, District Collector or Officer authorized by him in case of serving in District Urban Development Agency, Commissioner, Urban Administration and Development or Officer authorized by him in case of serving in Directorate, Urban Administration and Development and Head of Department or Officer authorized by him in case of service serving in other Government Office on deputation.".

8. In rule, 46.—

(i) in sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely :—

"(1) Confidential report of the members of services shall be maintained and prepared in the format prescribed by the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh for Class First, Second and Third Executive Officers.".

(ii) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

- (3) (i) Confidential Report :—(1) In case of serving in Municipal Council it shall be initiated by the President, Municipal council and shall be scrutinized by Divisional Deputy Director/Joint Director, Urban Administration and Development having jurisdiction to that concerned Municipal Council/Parishad, by the Collector of the concerned district and then Director/Commissioner, Urban administration and Development, who shall after writing his opinion shall send his report to the State Government.
- (ii) In case of serving in Municipal Corporation it shall be initiated by the Commissioner, Municipal Corporation and shall be scrutinized by Director/Commissioner, Urban Administration and Development, who shall after writing his opinion, send it to the State Government;
- (iii) In case of the Commissioner, serving in Municipal Corporation, it shall be initiated by the Divisional Commissioner (Revenue) and shall be scrutinized by Director/Commissioner, Urban Administration and Development who shall after writing his opinion shall send his report to the State Government.
- (iv) In case of serving in District Urban Development Agency it shall be initiated by the Collector and shall be scrutinized by Director/Commissioner, Urban Administration and Development, who shall after writing his opinion shall send his report to the State Government;
- (v) In case of serving in Directorate, Urban Administration and development it shall be initiated by the Commissioner, Urban administration and development and shall be scrutinized by Secretary/Principal Secretary, Urban Development and Environment Department, who shall after writing his opinion shall send his report to the State Government;
- (vi) In case of serving in other Government Offices it shall be initiated by the Head of Department and shall be scrutinized by Director/Commissioner, Urban Administration and Development, who shall after writing his opinion shall send his report to the State Government.".

9. For the existing schedule First and Second, the following schedules shall be substituted, namely :—

"FIRST SCHEDULE

[See sub-rule (1) of rule 4]

The provisional strength of the service is as follows:—

Additional Director	—	1
Joint Director	—	14
Chief Municipal Officer class-A	—	84
Chief Municipal Officer class-B	—	107
Chief Municipal Officer class-C	—	267

SECOND SCHEDULE

[See clause (c) of sub-rule (1) of rule 5]

S. No.	Name of the Posts	No. of posts	Classification of Grade	Scale of Pay	Mode of Recruitment		Posting	Educational qualification	
					By Direct recruit- ment	By Prom- otion		For direct recruitment	For Promotion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Additional Director Urban Administration	1	Senior Class-I	37400— 6700— Grade pay 8700	—	100%	—	—	Additional Director in Directorate—1 (On Deputation)
2	Joint Director Urban Administration	14	Senior Class-I	15600— 39100— Grade pay 7600	—	100%	—	—	Joint Director In Directorate—2 (On Deputation) 2. In Divisional Office-7 3. Additional Commissioner and reserve in Municipal Corporation-5
3	Chief Municipal Officer (Class-A)	84	Class-I	15600— 39100— Grade pay 6600	—	100%	—	—	1. Deputy Director In Directorate—2 (On Deputation) 2. In Divisional Office-01 3. SUDA-50 4. In Municipal Council (above 1) lakh Population)-19 5. Deputy Commissioner and reserve in Municipal Corporation-12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
4.	Chief Municipal Officer (Class-B)	107	Class-II	15600— 39100— Grade pay 5400	50%	50%	21 Years	40 Years	1. Asst. Director In Directorate—8 (On Deputation) 2. In Divisional Office-5 3. In Municipal Council (below 1 lakh Population)-78 4. Asst Commissioner and reserve in Municipal Corporation-16	Graduate of a Recognized Class-C, and Revenue University Inspectors of class AA, A and class B Municipal Council having at least years experience of the respective post.	Graduate By promotion of Officer of Chief Municipal Officer	By promotion of Officer of Chief Municipal Officer
5.	Chief Municipal Officer (Class-C)	267	Class-III	9300— 34800— Grade pay 3600	50%	50%	21 Years	40 Years	1. Municipal Council-257 2. Reserve-10	Graduate of a Recognized Municipal Council, Revenue Inspectors and University Revenue Inspectors of class C Municipal Council and employee of the Municipal Council having at least 5 years experience of the respective post.	Graduate of a Recognized Municipal Council, Revenue Inspectors and University Revenue Inspectors of class C Municipal Council and employee of the Municipal Council having at least 5 years experience of the respective post.	

Note.—Upper age limit in respect of the candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Handicapped/Women shall be relaxed as per the directions issued by the General Administration Department.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
S. N. MISHRA, Principal Secy.